



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-322

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310553 दिनांक 02/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ranjit S/o Nainu Ram	श्री नानूराम खारोल पुत्र श्री बिसना जी खारोल	28		Cooperative	BHOMIA COLONY (MITRA GNSS)	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	आवेदक श्री रणजीत पुत्र श्री ननूराम द्वारा मित्र गृ.नि.स.स की योजना भोमिया कॉलोनी प्रथम के भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 200 व0ग0 के नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड संख्या 28 का आवंटन पत्र दिनांक 22.08.1988 को श्री नानूराम खारोल पुत्र श्री बिसना जी खारोल के पक्ष में जारी किया गया है। उपलब्ध करवाये गये मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार आवंटी श्री नानूराम की मृत्यु दिनांक 04.05.2017 एवं आवंटी की पत्नी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बरजी देवी की मृत्यु दिनांक 14.09.2018 को हो चुकी है। आवेदक द्वारा वारीसों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र अनुसार ममता, सविता (पुत्री), रणजीत, मुकेश, दिनेश (पुत्र) मृतक के वारिस हैं। श्री मुकेश खारोल, दिनेश खारोल, सविता खारोल व ममता खारोल द्वारा आवेदित भूखण्ड का हकत्याग पत्र दिनांक 24.06.2026 के माध्यम से आवेदक के पक्ष में किया गया है। सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में मूल आवंटी श्री नानूराम खारोल पुत्र श्री बिसना जी खारोल का नाम अंकित है। प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र, शपथ पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Ranajit S/o Nainu Ram को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।